प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम, जो पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी तथा दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेंसी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-166/2004 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, इटावा के आदेश दिनांक 05.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष 10 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें की रंजिश में 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी तथा दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेंसी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान होने, बन्दी की मुक्ति की दशा में जान-माल की सुरक्षा न रहने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-25788) पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-115/2021/1002(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-115/2021/1002/22-2-2021-17(550)/2021

दिनांक 16 जुलाई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम, जो पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी तथा दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेंसी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-166/2004 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, इटावा के आदेश दिनांक 05.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष 10 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें की रंजिश में 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी तथा दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेंसी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान होने, बन्दी की मुक्ति की दशा में जान-माल की सुरक्षा न रहने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।